

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

कमरा नं० 7209, द्वितीय तल, खाद्य भवन, सचिवालय, जयपुर
फोन नं० 0141-2227047 फैक्स नं० 0141-2227281
ई-मेल: jsecy.tad@gmail.com Website: www.tad.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ.3(ए)/शिक्षा/सीटीएडी/2020-21

जयपुर, दिनांक 14/10/2020

स्वीकृति सं० 18/2020-21

आयुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।

विषय – माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विश्व आदिवासी दिवस पर की गई घोषणा के क्रम में जैसलमेर जिले में जेठवाई में बालक छात्रावास एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत निर्मित चित्तौडगढ़ जिले में विजयपुर घाटा आश्रम बालिका छात्रावास का संचालन शिक्षा सत्र 2020-21 से प्रारम्भ करने एवं इन छात्रावासों के लिए बिखरी क्षेत्र के बजट मद 2225-02-796-16-01(राज्य निधि) अन्तर्गत नवीन पदसृजन, जॉब बेसिस सर्विस आउटसोर्स पर कार्य करवाये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति।

प्रसंग– (i) आयुक्त कार्यालय की एकल पत्रावली क्रमांक एफ.3(ए)/शिक्षा/सीटीएडी/2020-21 में प्रेषित प्रस्तावानुसार वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति के क्रम में।

1.स्वीकृति–(1) माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विश्व आदिवासी दिवस पर की गई घोषणा के क्रम में जैसलमेर जिले में जेठवाई में बालक छात्रावास एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत निर्मित चित्तौडगढ़ जिले में विजयपुर घाटा आश्रम बालिका छात्रावास का संचालन शिक्षा सत्र 2020-21 से प्रारम्भ करने एवं इन छात्रावासों के लिए बिखरी क्षेत्र के बजट मद 2225-02-796-16-01(राज्य निधि) अन्तर्गत नवीन पदसृजन, जॉब बेसिस सर्विस आउटसोर्स पर कार्य करवाये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

नवीन स्वीकृत पदों का विवरण

क्रम सं.	जिला	छात्रावास का नाम			पद भरने की प्रक्रिया
			अधीक्षक (L-11)	कोच(सहायक अधीक्षिका)(L-10)	
1	जैसलमेर	जेठवाई (बालक)	01	—	शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा पद भरे जाएंगे।
2	चित्तौडगढ़	विजयपुर घाटा(बालिका)	01	01	
	योग		02	01	


नोट– उक्त 02 छात्रावासों की आवश्यकतानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, रसोईयां, चौकीदार एवं स्वीपर कार्य सेवाएं RTPP Act 2012 एवं RTPP नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए Scope of work निर्धारित कर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.04.2018 एवं आदेश दिनांक 14.01.2018 के अनुसार Job basis पर Services Outsource जाने की सहमति भी दी जाती है। किसी भी प्रकार की संविदा नियुक्ति अनुज्ञेय नहीं है।

2. वित्तीय वर्ष – 2020-21

नोट–यह स्वीकृति आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर की एकल पत्रावली संख्या एफ.3(ए)/शिक्षा/सीटीएडी/2020-21 पर वित्त विभाग द्वारा दिये गये अनुमोदन के आधार पर जारी की जा रही है।

3. अन्तर्विभागीय सहमति संख्या:-

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-11) विभाग की अन्तर्विभागीय संख्या 102004426 दिनांक 08.10.2020 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।


(नेहा गिरि)
संयुक्त शासन सचिव

4. प्रतिलिपि—

- 1 प्रमुख सचिव—मुख्यमंत्री / विशिष्ट सहायक—मंत्री, टीएडी / निजी सचिव—अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
- 2 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर (आडिट / लेखे)।
- 3 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय—।।)
- 4 निदेशक, वित्त (आय—व्ययक) विभाग, जयपुर।
- 5 जिला कलक्टर जैसलमेर एवं चित्तौडगढ़।
- 6 अतिरिक्त आयुक्त उपयोजना जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- 7 वित्तीय सलाहकार, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- 8 कोषाधिकारी जैसलमेर एवं चित्तौडगढ़।
- 9 संयुक्त निदेशक (मोने.) टीएडी, जयपुर।
- 10 एसीपी कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- 11 प्रोग्रामर कार्यालय हाजा।
- 12 गार्ड फाईल।

लेखाधिकारी

स्वीकृति सं० 18 / 2020-21
दिनांक— 14/10/2020